

## न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

दिनांक 10.11.2022

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त की जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 144 रेल अधिनियम के अंतर्गत 100/-रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।